न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

मुकदमा नं0 3/30/16

उनवान

1. **सलेम पुत्र रहमान जाति मेव निवासी मेव ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ। ....प्रार्थी**

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ। ....अप्रार्थी**

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थी कब्जा काश्त रिकोर्डेड खातेदार है। आज दिनांक तक कब्जे काश्त रहकर उक्त विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर पडौसी सीमान्त कृषकगण बुरी नियत रखते हुए बेजा अतिक्रमण वो अतिभार करने की चेष्टा में रहते है। जिसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते है। जिसको रोकने के लिए प्रार्थी ने अथक प्रयास कर लिये लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। बार–बार डोल तोड कर अतिक्रमण करते है। प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 15.06.2016 को की गई थी और उस वक्त इन व्यक्तियों को पैमाईश से अवगत करा पाबन्द फरमाया गया था परन्तु फिर भी परेशान करते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में दिनांक 15.06.2018 को पेश हुई। प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित

हुआ। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 15.06.2016 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ के आदेश क्रमांक 88 दिनांक 12.05.2016 की अनुपालना ग्राम नंगला बंजीरका के खसरा नम्बर 1064 के सीमांकन हेतु मौके पर पहुचा। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों एवं प्रार्थी एवं पडौसियों की उपस्थिति में ख0 नं0 1058 गै0मु0चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए खसरा नम्बर 1064 का सीमांकन जरीब चलाकार कराया। उपस्थितगणों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करायें।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगलाबंजीरका में दिनांक 15.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 15.06.2016 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलाबंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत नंगलाबंजीरका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)